

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(4)नविवि/रामगढ़/2022


जयपुर दिनांक: 24 FEB 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप नगर नियोजक, अलवर को रामगढ़, जिला-अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील रामगढ़ के 15 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	रामगढ़	9.	पूठी
2.	खेड़ी	10.	निवाली
3.	डोली	11.	सोनागढ़
4.	बर्डोद	12.	नंगला बलैया
5.	दोहली	13.	पिपरोली
6.	सरहेटा	14.	गोहा
7.	बाघोडी	15.	चौकी
8.	यादव नगर		

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, अलवर ।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, (एनसीआर) राजस्थान, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रामगढ़।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालयी।

॥  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय